E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–18/2023 8622 दि0 20/10/2023

आदेश

"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–2640 दिनांक–03.04.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री अभिजीत कुमार, (Emp. ID No.- AEN02235), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा द्वारा प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री अभिजीत कुमार के अपील की सुनवाई हेतु दिनांक–11.08.2023 को 04:00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें ई–मेल के द्वारा प्रेषित की गयी है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

अपील अभ्यावेदन पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील अभ्यावेदन पर निदेशालय द्वारा दायर मंतव्य व अन्य अभिलेखों, साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा नियोजन के समय समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का अंक पत्र/प्रमाण–पत्र का सत्यापन हेतु पत्र निदेशालय पत्रांक–1519 दिनांक–15.02.2023 द्वारा Sarvepalli Radhakrishnan University, Bhopal (M.P) को भेजा गया।

उक्त प्रेषित पत्र के आलोक में कुलसचिव, Sarvepalli Radhakrishnan University, Bhopal (M.P) के पत्रांक–126 दिनांक–28.02.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के सत्यापनोपरान्त अपीलार्थी की डिग्री को Not Verified बताया गया है।

उक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2029 दिनांक–06.03.2023 द्वारा अपीलार्थी से फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने की मांग की गयी। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि योगदान के समय जो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें अंक पत्र 6th Semestar का प्रोविजनल और मूल प्रमाण–पत्र थे, जबकि नियोजन के समय सिर्फ 1 to 6th सेमेस्टर का अंक पत्र, और प्रोविजनल था, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुए थे। उक्त प्रमाण पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया है।

अपील अभ्यावेदन, निदेशालय द्वारा दाखिल मंतव्य एवं अपीलार्थी के कथन से स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के दिनांक–28.02.2023 के पत्र विरोधाभाषी है। एक तरफ विश्वविद्यालय प्रोविजनल प्रमाण–पत्र को Not Verified बताता है तो दूसरी तरफ अंक पत्र को 'Verified' बताया गया है। अपीलार्थी के प्रमाण–पत्रों की पुनः विश्वविद्यालय से सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः श्री अभिजीत कुमार, (Emp. ID No.- AEN02235), संविदा समाप्त, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा द्वारा नियोजन के समय प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों का Sarvepalli Radhakrishnan University, Bhopal से पुनः सत्यापन करायी जाय।

अगली तिथि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अपील को रखे।

ह0/–

अपर मुख्य सचिव–सह–

अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-18/2023 8622 **पटना, दिनांक** :- 20/10/2023

प्रतिलिपि:- श्री अभिजीत कुमार, (Emp. ID No.- AEN02235), (संविदा समाप्त) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा, abhijeetkumar103@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

19/10/2023
(विनोद कुमार पंकज)
सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-18/2023 8622 **पटना, दिनांक** :- 20/10/2023

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-18/2023 8622 **पटना, दिनांक** :- 20/10/2023

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-18/2023 8622 **पटना, दिनांक** :- 20/10/2023

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-18/2023 8622 **पटना, दिनांक** :- 20/10/2023

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/10/2023
सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप